


फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज0) SN

पार्थी	अपार्थी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन	गिरधारीलाल पुत्र पुराराम मेघवाल वर्मरह सा. कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी	
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर - 179/2023 GCMS No. 2023/ 471		
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.10.2023	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। ग्राम कुकनवाली पटवार मण्डल कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1031 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू- अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट "ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है सम्पूर्ण सम्बन्धित खातेदारान की प्रकरण में सहमती नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का संबंधित खातेदारो द्वारा लिखित स्वरूप सहमती पत्र या अनापत्ती प्रस्तुत हुई है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 क्रमांक/प.3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की श्रेणी में प्रकरण नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	
	<p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नामौर)</p>	

